पत्र संख्या–स्था–2–विभागीय व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम/2025–26/ 2249 /राज्य कर।

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र०
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ दिनांक :: 04/8/2025

// आदेश //

राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 4 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ मे **RECOVERY** विषय पर दिनांक **11.08.2025** से **13.08.2025** तक आफलाइन पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यकम तक प्रस्तावित है, जिसमें प्रतिभाग करने हेतु निम्नवत अधिकारियों को नामित किया जाता है:–

RECOVERY विषय पर दिनांक 11.08.2025 से 13.08.2025 तक प्रशिक्षण हेतु नामित अधिकारी

S.N.	EMPID	NAME	DES.	OFF_NAME	MOBILE
1	100855	Ambika Singh Smt.	DC	DC Sector -6,Varanasi	7235001720
2	123989	Amit Kumar Yadav	DC	DC Sector -1,Jalaun (Orai)	9532772578
3	124704	Arun Singh	DC	DC Sector -1,Etawah	9415660478
4	125136	Ashok Kumar Tripathi	DC	DC Sector -19,Lucknow	9838631367
5	122735	Avdhesh Chaturvedi	DC	DC Sector -11,Varanasi	7235003131
6.	125412	Bhavana Agarwal	DC	DC Sector -11,Kanpur	8392842000
7	123646	Bhupendra Kumar Singh	DC	DC Sector -15,Lucknow	9760294809
8	125419	Bijyendra Pal Singh	DC	DC Sector -4,Ghaziabad	9454761402
9	112130	D Shikha Harsh Vardhan Smt.	DC	DC Sector -9,Prayagraj	8004499598
10.	112021	Deepak Kumar Singh-I	DC	DC Sector -5,Bareilly	8178813775
11.	124705	Deepak Kumar-II	DC	DC Sector -2,Mathura	8726865009
12.	123687	Devendra Singh-I Dr.	DC	DC Sector -6,Gautam Budh Nagar	9412181171
13.	124832	Devnath Yadav Dr.	DC	DC Sector -2,Auriya	9452937005
14.	124100	Dhananjay Kumar Singh	DC	DC Sector -3,Bhadohi	6388566718
15.	124820	Dharmendra Kumar-I	DC	DC Sector -2,Chandausi	9454233288
16.	123935	Dheerendra Kumar	DC	DC Sector -12,Kanpur	7235003140
17.	125331	Dinesh Kumar Singh	DC	DC Sector -2,Unnao	9305078259
18.	124637	Dinesh Kumar-III	DC	DC Sector -4,Meerut	9450753527
19.	124623	Durgesh Yadav	DC	DC Sector -2,Mirzapur	9452838185
20.	112065	Gauri Shanker	DC	DC Sector -2,Muzaffarnagar	7235002116
21.	112056	Hari Sahai Singh	DC	DC Sector -4,Gonda	8318505705
22.	124006	Hari Shankar Prasad	DC	DC Sector -1,Maharajganj	7235003155
23.	112074	Hari Shanker Dubey-I	DC	DC Sector -2,Hardoi	9415358241
24.	125386	Hemant Kumar	DC	DC Sector -2,Ayodhya	7235001787
25.	103232	Hemant Kumar Yadav	DC	DC Sector -1,Khatauli	9871814497
26.	124532	Hemwant Kumar Gautam	DC	DC Sector -3,Farrukhabad (Fatehgarh)	8765226316
27.	123688	Hrishikesh Yadav	DC	DC Nanpara,Bahraich	7235003333
28.	122767	Ishwar Chandra Sharma	DC	DC Sector -3,Fatehpur	9415686785
29.	124595	Kripal Agnihotri	DC	DC Sector -7,Gautam Budh Nagar	9336589648
30.	112067	Suniti Ranjan Sharma	DC	DC Sector -1,Gautam Budh Nagar	9415170839
31.	103750	Jai Bahadur Singh	DC	DC Sector -1,Azamgarh	9557705984
32.	112146	Jai Sen	DC	DC Sector -1,Ghazipur	9451659875
33.	112147	Jai Shankar Shahi	DC	DC Sector -2,Jalaun (Orai)	7235002312
34.	124624	Jayesh Kumar Singh	DC	DC Sector -1,Sitapur	9415387836
35.	123698	Jitendra Arya	DC	DC Sector -9,Aligarh	9984126623
36.	124530	Jitendra Kumar-III	DC	DC Sector -4,Bareilly	9450904696
37.	124788	Jitendra Kumar-IV Dr.	DC	DC Sector -3,Kushinagar, Padrona	9473940240
38.	124823	Jitendra Kumar-V	DC	DC Sector -4,Agra	9412835058
39.	112133	Kailash Nath Saroj-II	DC	DC Sector -2,Aligarh	9648760000
40.	124824	Kanak Tewari Ms.	DC	DC Sector -3,Firozabad	9838180784
41.	125410	Kanchan Singh Gaur Ms.	DC	DC Sector -2,Jaunpur	9454320962
42.	124601	Kapil Kumar	DC	DC Sector -1,Shahjahanpur	9810166492
43.	125339	Kaushlesh Singh	DC	DC Sector -3,Kanpur	9450669970
44.	125105	Kavindra Singh Yadav	DC	DC Sector -5,Kanpur	9628590710
45.	122777	Kiran Rajvansi Smt.	DC	DC Sector -7,Aligarh	9415475266

प्रशिक्षण में अधिकारी की उपस्थिति प्रशिक्षण संस्थान में आने के उपरान्त दिनांक **11.08.2025** से ही मान्य होगी। उक्त नामित अधिकारी अनिवार्य रूप से अपर निदेशक (प्रशिक्षण) राज्य कर, विभूति खण्ड प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ, के कार्यालय में प्रत्येक दशा में उक्त दिनांक की प्रातः 9.30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित अधिकारियों को किसी भी प्रकार की शिथिलता अनुमन्य नहीं होगी। नामित अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा ।

नामित अधिकारी प्रशिक्षणोपरान्त अपने वर्तमान तैनाती/सम्बद्धता के स्थान पर अपने नियन्त्रक अधिकारी को रिपोर्ट करेंगें। **<u>अधिकारियों के अपेक्षित कार्यवाही से सम्बन्धित कुछ दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जो निम्नानुसार हैः—</u>**

- कार्यभार ग्रहण करने की औपचारिकताएं प्रातः 9 बजे से मध्यान्ह 12 बजे तक पूर्ण कर लेनी होगी। इसके उपरांत किसी भी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान देने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
- प्रशिक्षण अवधि में हॉस्टल में आवंटित कक्ष को अपनी इच्छा से बदलने की किसी अधिकारी को अनुमति नहीं होगी ।
- अधिकारियों को अपने कमरे में अतिथियों (परिवार के सदस्यों, मित्रों, पति/पत्नी या कोई अन्य) को बुलाने एवं ठहराने की अनुमति नहीं है। अतः प्रशिक्षण संस्थान में योगदान देने के समय कृपया अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को न लायें ।
- संस्थान में अधिकारियों को अपने पहनावे पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्हें हमेशा औपचारिक/शालीन पहनावे में रहना होगा ।
- अधिकारियों के खान—पान की व्यवस्था संस्थान की मेस में रहेंगी। मेस में भोजन का व्यय अधिकारियों को वहन करना होगा। हॉस्टल के कक्षों में खाना बनाना/मंगाना निषिद्ध है। मेस में अतिथियों को भोजन हेतु सामग्री लाना वर्जित होगा।
- प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग निषिद्ध है। प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान जिन अधिकारियों के पास मोबाईल फोन पाया जायेगा उसे जब्त कर लिया जायेगा तथा ऐसे अधिकारियों पर संस्थान द्वारा उचित जुर्माना भी आरोपित किया जायेगा।
- प्रशिक्षण संस्थान में जिन अधिकारियों को मद्यपान, सिगरेट या तम्बाकू आदि का सेवन करते हुए पाया जायेगा या जिनके पास ऐसी निषिद्ध सामग्री पायी जायगी उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित कर दिया जायेगा। इसके साथ ही सम्बन्धित नियम के तहत अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
- प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि में अपर निदेशक (प्रशिक्षण) एवं अन्य संकाय अधिकारियों द्वारा समय—समय पर दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा। विपरीत दशा में दोषी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित करने पर विचार किया जायेगा ।
- प्रशिक्षण में प्रतिभाग न करने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में मुख्यालय के आदेश सं0 4905 दि0 15.03.2018 के प्रस्तर 'ग' के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।
- यह आदेश आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(धनन्जय शुक्ला)
अपर आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप सचिव, राज्य कर अनुभाग—1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर निदेशक राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त राज्य कर उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने जोन में तैनात अधिकारी को अपने स्तर से भी नामित करने का कष्ट करें।
5. ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. संबन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को सूचनार्थ।
7. कम्प्यूटर ऑपरेटर (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) राज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि EIMS MODULE पर उक्त आदेश प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

(जैस्मिन)
संयुक्त आयुक्त (स्थापना) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।